अध्याय–11

प्रत्येक इकाई को आबंटित बजट जिसमें योजनाओं की विशेषता, प्रस्तावित व्यय, वितरण की रिपोर्ट आदि दर्शाए गए हों

विभाग द्वारा जिला कार्यक्रम अधिकारियों/बाल विकास परियोजना अधिकारियों को विभिन्न स्कीमों के कार्यान्वयन हेतु योजना एवं गैर–योजना बजट का आबंटन निम्न सारणियां प्रदर्शित है ।

वर्ष 2016–17 हेतु योजनावार बजट, व्यय, लक्ष्य एवं लक्ष्य प्राप्ति का विवरण (बजट एवं व्ययः लाखों में)

क्र0 सँ0	योजना/कार्यक्रम	बजट प्रावधान (लाखों में)	व्यय (लाखों में)	लक्ष्य प्राप्ति	विवरण
1.	महिला विकास निगम	मु0140.00	मु0 140.00	–	–
2.	बालवाड़ियां	मु0452.27	मु0452.27	.....	–
3.	महिलाओं को स्वयं रोज़गार	मु0102.90	मु0102.90	2058	(Non Plan)
4.	मुख्यमंत्री कन्या दान योजना	मु0661.00	मु0661.00	1868	(Plan)
5.	विधवा पुनर्विवाह योजना	मु0132.75	मु0118.50	242	(Plan)
6.	महिला आयोग	मु089.16	मु079.80	.....	(NP+Plan)
7.	नारी सेवा सदन	मु0135.72	मु0117.68	27	(NP+Plan)
8.	मुख्य मन्त्री बाल उद्धार योजना–बाल/ बालिका आश्रम	मु0 525.36	मु0 525.34		(NP+Plan)
9.	मदर टेरेसा असहाय मातृ सम्बल योजना	मु01179.26	मु01179.26	24020	(Plan)
10.	विशेष पोषाहार कार्यक्रम राज्य हिस्सा (योजना)	मु0 648.00	मु0 648.00		(Plan)
11.	विशेष पोषाहार कार्यक्रम केन्द्रीय हिस्सा (योजना)	मु0 5507.98	मु0 5507.98		(Plan)
12.	हि0 प्र0 बाल बालिका सुरक्षा योजना 2012	मु0 125.52	मु0 125.52	575	(Plan)
13.	समेकित बाल विकास सेवाएं (आई सी डी एस) राज्य हिस्सा केन्द्रीय हिस्सा	मु0 997.42 मु0 17200.04	मु0 997.41 मु0 17200.01		(Plan)
14.	बेटी है अनमोल	मु0 951.05	मु0 951.05	29498	(Plan)
15	बेटी बचाओं बेटी पढ़ाओ	मु0 69.63	मु0 69.63	.....	
15.	आई0सी0पी0एस0	मु01269.67	मु01257.12		

Scanned by CamScanner

अध्याय–12

सबसिडी प्रोग्राम के निष्पादन का ढंग जिसमें आबंटित राशि एवं लाभान्वित का विवरण शामिल हो

माता शबरी महिला सशक्तिकरण योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन–जाति की बी0 पी0 एल0 परिवार से सम्बन्ध रखने वाली ऐसी महिला जिसके पास एल0पी0जी0 कनैक्शन न हो उसको विभाग के माध्यम से एक मुश्त मु0 1300 रू0 की सबसिडी प्रदान की जाती है। 2016–17 में विभाग द्वारा 5076 गैस कनैक्शन लाभार्थियों को वितरित करने हेतु मु0 65,98,800/– रू0 की सबसिडी लाभार्थियों को जारी की गई। इसके अलावा विशेष महिला उत्थान योजना के अन्तर्गत महिला विकास निगम द्वारा महिलाओं को 4–6 प्रतिष्त की दर से ऋण प्रदान किया जाता है। तथा विभाग के माध्यम से मु0 10,000/–रू0 की ब्याज सबसिडि भी प्रदान की जाती है।

अध्याय–13

प्राप्तकर्ताओं की विशेषता परमिट एवं अधिकारिता

लागू नहीं होता है ।

अध्याय–14

सूचनाओं का विवरण जो इलैक्ट्रॉनिक अवस्था में है

विभाग की वेबसाईट सुचारू रूप से काम कर रही है तथा विभाग द्वारा सभी योजनाओं की सूचना, योजनाओं से सम्बंधित प्रार्थना पत्र, विभाग द्वारा संचालित अधिनियमों की सूचना, जन सूचना अधिकारियों के बारे में जानकारी तथा ई–टेन्डरिंग की सूचना उपलब्ध हैं। इसके अलावा सभी योजनाओं का बजट E–वितरण के माध्यम से किया जाता है।

अध्याय–15

नागरिकों द्वारा वांछित सुविधाओं जैसे लाईब्रेरी, रीडिंग रूम यदि जनसाधारण के लिए हो

निदेशालय, जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालयों, बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालयों में समस्त योजनाओं के दिशा–निर्देश उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त विभाग की वैबसाईट सुचारू रूप से कार्य कर रही है । लाईब्रेरी, रीडिंग रूम उपलब्ध नहीं है ।

Scanned by CamScanner

अध्याय–16

जन सूचना अधिकारी का नाम/पदनाम एवं अन्य विशेषता

ऐपीलेट अथॉरिटि/एपीलेट अधिकारी का नाम /पदनाम एवं अन्य विषेषता निम्न प्रकार से हैः–

पद/पदनाम	कार्यालय का पूर्ण पता	कार्यालय दूरभाष संख्या	अधिकार क्षेत्र
अतिरिक्त निदेशक श्री दलीप नेगी	निदेशालय, महिला एवं बाल विकास हि0 प्र0, ब्रन्ट वुड एस्टेट, सिडार होम, बेमलोई शिमला–1 नजदीक हिमलैण्ड होटल।.	2623113 2621957	अपील अधिकारी

अध्याय–17

अन्य सूचनाएं जो प्रतिवर्ष निर्धारित/अप डेट की जाएंगी

(I) बाल कल्याण

1. <u>मुख्य मन्त्री बाल उद्धार योजनाः</u>–

अनाथ, अर्ध–अनाथ तथा निराश्रित बच्चों की देखभाल के लिए मुख्य मंत्री बाल उद्धार योजना के अन्तर्गत विभाग द्वारा बाल गृहों का संचालन किया जा रहा है । बाल गृहों के संचालन हेतु विभाग द्वारा स्वयं सेवी संस्थाओं को भी अनुदान सहायता दी जाती है । विभाग द्वारा गरली, (प्रागपुर जिला कांगड़ा), अर्की (ज़िला सोलन), टुटीकण्डी (ज़िला शिमला), मसली (ज़िला शिमला), सुन्दरनगर (ज़िला मण्डी) सुजानपुर (ज़िला हमीरपुर) तथा पांगी (ज़िला चम्बा) में बाल गृहों का संचालन किया जा रहा हैं । चम्बा ज़िले के साहू में विभाग द्वारा गुज्जर आश्रम चलाया जा रहा हैं । कानून के साथ विवाद में पड़े बच्चों के लिए समूरकलां, (ऊना) में संप्रेक्षण गृह विभाग द्वारा चलाया जा रहा है । स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा सराहन (ज़िला शिमला), सुन्नी (ज़िला शिमला), रॉकवुड (ज़िला शिमला), दुर्गापुर (ज़िला शिमला), कलैहली (ज़िला कुल्लू) चिल्ली (ज़िला चम्बा), कल्पा(ज़िला किन्नौर), भरनाल (ज़िला मण्डी), डैहर (ज़िला मण्डी), मैहला(ज़िला चम्बा), और बालिका आश्रम चम्बा में बाल गृह चलाए जा रहे हैं। इन बाल गृहों में 18 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क खाने–पीने तथा रहने की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं । बच्चों को किशोर न्याय अधिनियम / नियमों में प्रावधित मानकों के अनुसार निशुल्क वस्त्र भी प्रदान किए जाते हैं । उनकी शिक्षा पर होने वाले व्यय को सरकार द्वारा वहन किया जाता है । दस जमा दो कक्षा के बाद इन बच्चों को आई0 टी0 आई0 के माध्यम से किसी भी ट्रेड में व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए भी आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है । वित्तीय वर्ष 2016–17 में इस योजना के अन्तर्गत मु0 525.34लाख रूपये के बजट के विरूद्ध मु0 525.34लाख रू0 व्यय किए गए।

Scanned by CamScanner

वित्त वर्ष 2016–17 में संचालित बाल/बालिका गृहों तथा उन्हें संचालित करने वाली संस्थाओं का विवरण इस प्रकार से है –

1. सरकार द्वारा संचालित

कम संख्या	गृह का नाम	गृह को संचालित करने वाले विभाग / संस्था का नाम	आवास क्षमता	जिले का नाम	गृह में रहनें वाले आवासियों की श्रेणी
1	बालिका गृह मशोबरा स्थित टूटीकण्डी	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हि0 प्र0 सरकार (महिला एवं बाल विकास निदेशालय)	100	शिमला	लड़कियां
2	बाल गृह टूटीकण्डी स्थित अर्की	यथा	100	सोलन	लड़के
3	बाल गृह, मसली	यथा	100	शिमला	लड़के
4	बाल गृह, सुन्दर नगर	यथा	50	मण्डी	लड़के
5	बालिका गृह, परागपुर (गरली)	यथा	50	कांगडा	लड़कियां
6	बाल/बालिका गृह, किलाड़ (पांगी)	यथा	50	चंबा	लड़के एवं लड़कियां
7	बल गुह (गुज्जर आश्रम), साहू	यथा	25	चंबा	लड़के
8	बाल गृह, सुजानपुर	यथा	50	हमीरपुर	लड़के
9	संप्रेक्षण गृह एवं विशेष गृह समूरकलां, उना	यथा	25	ऊना	लड़के
10	विशेष योग्यता वाली बालिकाओं का संस्थान, सुन्दर नगर	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हि0 प्र0 सरकार (अनु0 जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्प संख्यक मामलें एवं विशेष रूप से सक्षम व्यक्तियों के सशक्तिकरण के लिए निदेशालय)	100	मण्डी	लड़कियां

Scanned by CamScanner

2. स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा संचालित

कम संख्या	गृह का नाम	गृह को संचालित करने वाले विभाग / संस्था का नाम	आवास क्षमता	जिले का नाम	गृह में रहनें वाले आवासियों की श्रेणी
1	बालिका गृह, सुन्नी	हि0प्र0 राज्य बाल कल्याण परिषद्, शिमला–2	50	शिमला	लड़कियां
2	बाल गृह, सराहन	.....यथा.....	100	शिमला	लड़के
3	बालिका गृह, तीसा	.....यथा.....	50	चंबा	लड़कियां
4	बाल गृह, मैहला	.....यथा.....	50	चंबा	लड़के
5	बाल गृह, कलहैली	.....यथा.....	50	कुल्लु	लड़के
6	बलिका गृह, कल्पा	.....यथा.....	50	किन्नौर	लड़कियां
7	मूक–बधिर बच्चों का स्कूल/गृह, ढल्ली	.....यथा.....	60	शिमला	लड़के
8	अस्थिदोष बच्चों का स्कूल/गृह, दाड़ी	.....यथा.....	50	कांगड़ा	लड़के
9	दृष्टिहीन बच्चों का स्कूल/गृह, ढल्ली	.....यथा.....	20	शिमला	लड़के
10	बाल गृह, रौकवुड, शिमला	कस्तुरबा गांधी राष्ट्रीय स्मारक ट्रस्ट, रॉकवुड शिमला	50	शिमला	लड़के
11	बालिका गृह, दुर्गापूर	यथा	50	शिमला	लड़कियां
12	बाल गृह, डैहर	दिव्य मानव ज्योति अनाथालय ट्रस्ट, डैहर, ज़िला मण्डी	150	मण्डी	लड़के
13	बाल गृह, भरनाल	दीन बंधु सेवा मंडल, भरनाल, ज़िला मण्डी	50	मण्डी	लड़के
14	बालिका गृह, चंबा	महिला कल्याण मंडल, चम्बा	50	चंबा	लड़कियां
15	प्रेम आश्रम, ऊना	इन्स्टीट्युट ऑफ सिस्टर ऑफ चैरिटी	150	उना	लड़के एवं लड़कियां

Scanned by CamScanner

16	दार–उल–फजल बाल/बालिका गृह, कुल्लू	दार–उल– फज़ल चिल्ड्रन सोसाईटी, कुल्लू	80	कुल्लू	लड़के एवं लड़कियां
17	विशेष योग्यता वाले बच्चों के लिए गृह, नागचला, जिला मण्डी	सहयोग बाल श्रवण विकलांग कल्याण समिति नागचला, जिला मण्डी	40	मण्डी	लड़के एवं लड़कियां
18	रामानन्द गोपाल रोटरी बाल बालिका गृह, सलियाना	पालमपुर रौटरी आई फॉऊंडेशन, पालमपुर	40	कांगड़ा	लड़के एवं लड़कियां
19.	शांति निकेतन बाल /बालिका गृह, थथोंग, सोलन	शान्ति निकेतन चिल्ड्रन होम ट्रस्ट, सुबाठू, जिला सोलन ।	90	सोलन	लड़के एवं लड़कियां

2. बाल/बालिका सुरक्षा योजना/फॉस्टर केयर कार्यक्रमः

इस योजना/कार्यक्रम का उद्देश्य अनाथ व असहाय बाल/बालिकाओं को सम्पन्न पारिवारिक वातावरण में पालने हेतु रखा जाना है, ताकि उन्हें बाल गृहों मे प्रवेश हेतु बाध्य न होना पड़े । इस योजना के अन्तर्गत पालना दम्पत्ति को बच्चों के पालन–पोषण के लिए मु0 2000 रू0 प्रति बच्चा प्रति माह की दर से आर्थिक सहायता दी जाती है । इसके अतिरिक्त मु0 300 रू0 प्रति माह की दर से फॉस्टर केयर में रखे गए बच्चें के नाम स्वीकृत करके उसके बैंक/डाकघर में जमा किये जाते हैं जो कि उसके द्वारा 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर आहरित किए जा सकते हैं। वित्त वर्ष 2016–17 में इस योजना के अन्तर्गत मु0 125.52 लाख रुपये व्यय करके 575 बच्चों को लाभान्वित किया गया ।

3. बालवाड़ी एवं उद्योग केन्द्र कार्यक्रम :

इस विभाग द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य बाल कल्याण परिषद् तथा राज्य समाज कल्याण बोर्ड को उपरोक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुदान सहायता प्रदान की जाती है । वर्ष 2016–17 में इस कार्यक्रम के तहत मु0 452.27 लाख रू0 का बजट प्रावधान था जिसमें मु0 452.26 लाख रू0 उपरोक्त संस्थाओं को अनुदान सहायता के रूप में जारी किए गए ।

4. किशोर न्याय (बालकों की देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 के अन्तर्गत गठित बोर्ड एवं समितियां :

केन्द्र सरकार द्वारा बनाये गए उपरोक्त अधिनियम के प्रावधान अनुसार निम्नलिखित बोर्ड एवं समितियां गठित की गई हैं:–

Scanned by CamScanner

(क) किशोर न्याय बोर्डः–

किशोर न्याय अधिनियम के अनुसार वित वर्ष 2016–17 में प्रदेश में 12 किशोर न्याय बोर्ड गठित थे । इन किषोर न्याय बोर्डों द्वारा कानून के साथ विवादित किशोरों/ किशोरियों से सम्बन्धित मामलों को निपटाया जाता है। किशोर न्याय बोर्ड की अध्यक्षता दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी द्वारा की जाती है और इसमें दो सामाजिक कार्यकर्ता नियुक्त किये जाते हैं। जिसमें एक महिला सदस्य का होना अनिवार्य है।

(ख) ज़िला बाल कल्याण समितियां

उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत ऐसे बच्चे जिन्हें देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता हो, से संबन्धित मामलों के निपटारे हेतु जिला स्तर पर प्रत्येक जिले में एक–एक बाल कल्याण समिति का गठन किया गया है ।

5. बाल दिवस का आयोजन :

विभाग द्वारा 14 से 16 नवम्बर 2016 तक बाल गृह टुटीकण्डी (वर्तमान में अब वहां बालिकायें हैं), में बाल गृहों के बच्चों के लिए राज्य स्तरीय खेल–कूद तथा सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया । इन प्रतियोगिताओं मे सरकार द्वारा संचालित 8 (टुटीकण्डी, मशोबरा स्थित अर्की, मसली, सुन्दरनगर, सुजानपुर, गरली, साहू तथा किल्लाड़) तथा गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा संचालित 11 बाल गृहों (दुर्गापुर, रॉकवुड, भरनाल, डैहर, सुन्नी, कल्पा, मैहला, चम्बा, तीसा, कलैहली तथा सराहन) के कुल 358 बच्चों ने भाग लिया । विभाग द्वारा इन्दिरा गांधी मैडिकल कॉलेज शिमला व जिला रेडकास सोसाईटी शिमला के सहयोग से सभी 358 बच्चों का संपूर्ण हीमोग्राम, ब्लड शुगर, लिवर फंक्शनिंग टैस्ट(एल0एफ0टी0) तथा रिनल फंक्शनिंग टेस्ट (आर0एफ0टी0) करवाए गए ।

- **समेकित बाल संरक्षण योजना (आई0सी0पी0एस0) :–**

समेकित बाल संरक्षण योजना (आई0सी0पी0एस0) से एक ऐसे तत्रां के सृजन के लिये सरकार/राज्य सरकार के दायित्व को साकार करने में योगदान देने की अपेक्षा की जाती है, जो दक्षता पूर्वक और प्रभावी रुप से बच्चों को संरक्षण प्रदान करता है । यह बाल अधिकारी संरक्षण और सर्वोतम बाल हित के दिषा निर्देशक सिद्वान्तो पर आधारित है । हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा 27 जनवारी, 2011 को केंन्द्र सरकार के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया ताकि प्रदेश में समेकित बाल संरक्षण योजना का कियान्वयन सुचारु रुप से किया जा सके । हिमाचल प्रदेश में समेकित बाल संरक्षण योजना का आरम्भ सितम्बर, 2012 से किया गया । इस योजना के उदेश्य निम्न प्रकार से हैंः–

Scanned by CamScanner

- कठिन परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों के कल्याण और उन परिस्थितियों तथा गतिविधियों की सुमेद्यता में कमी लाने में योगदान देना, जो कि बच्चों के साथ दुर्व्यहार, उपेक्षा, शोषण ? उन्हें बेसहारा छोड़ देने तथा अलग कर देने की ओर जाते हैं । इसे अग्रलिखित द्वारा अर्जित किया जायेगा:

    1. बाल संरक्षण सेवाओं तक बेहतर पंहुच और उसकी बेहतर गुणवता ।
    2. बाल अधिकारों की वास्तविकता, भारत में उनकी स्थिति और सुरक्षा के बारे में सार्वजनिक जागरुकता में वृद्वि लाना।
    3. बाल संरक्षण की स्पष्ट जवाबदेही और प्रबलित दायित्व सुनिश्चित करना ।
    4. कठिन परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों को वैधानिक और सहायक सेवाओं की आपूर्ति के लिए सभी सरकारी स्तरों पर सुस्थापित और कार्यशैली संरचना करना ।
    5. प्रचालन साक्ष्य पर आधारित निगरानी और मुल्यांकन करना ।

हिमाचल प्रदेश में समेकित बाल संरक्षण योजना के अर्न्तगत राज्य स्तर पर राज्य बाल संरक्षण संस्था का गठन किया गया है और इस संस्था का पंजीकरण सोसाईटी रजीस्टेशन एक्ट, 2006 के अर्न्तगत दिनांक 28.02.2012 को किया गया । समेकित बाल संरक्षण योजना के संचालन हेतु महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार एवं हिमाचल प्रदेश सरकार के बीच में समझौता ज्ञापन (MOU) दिनांक 27.01.2011 को हस्ताक्षरित किया गया ।

राज्य में समेकित बाल संरक्षण योजना के अर्न्तगत निम्न प्रकार की सेवाएं प्रदान की जा रही हैं :–

1. संस्थागत सेवाएं:–

प्रदेश में बच्चों की देखारेख और संरक्षण हेतु 29 पंजीकृत बाल कल्याण संस्थाओं का संचालन किया जा रहा है, इनमें 28 बाल गृहों तथा एक संप्रेक्षण गृह चलाया जा रहा है । इनमें से 10 बाल गृह सरकार द्वारा संचालित किये जा रहे हैं और 19 बाल गृह स्वयसेवी संस्था द्वारा चलाये जा रहे हैं । इन बाल गृहों में बच्चों के संरक्षण और देखरेख हेतु आवास, शिक्षा, उपचार आदि की सुविधायें प्रदान की जा रही हैं । इसके अतिरिक्त संस्थागत सेवाओं में तीन खुले आश्रयों को चलाया जा रहा है । यह खुले आश्रय जिला सोलन, शिमला और कांगड़ा में चलाये जा रहे हैं । इन आश्रयों में उन सभी बच्चों जिन्हें देखरेख तथा संरक्षण की आवश्यकता है, विशेषतया बाल भिखारियों, आवारा तथा कामकाजी बच्चों, कूड़ा बीनने वाले बच्चों, छोटे विक्रेताओं, घुम–घुम कर तमाशा दिखाने वाले बच्चों, परित्यक्त बच्चों, अवैध व्यापार में लगाये गये बच्चों तथा भागे हुए बच्चों को रखा जाता है । वर्तमान में इन सेवाओं के अर्न्तगत 31.03.2017 तक 1036 बच्चों को लाभान्वित किया जा चुका है ।

Scanned by CamScanner

2. गैर–संस्थागत सेवाएंः–

प्रदेश में गैर संस्थागत सेवाओं के अर्न्तगत दत्तक ग्रहण सेवाएं दत्तक ग्रहण(Adoption) और पालन–पोषण देखभाल (Foster Care) सेवाएं प्रदान की जा रही हैं।

प्रदेश में अनाथ, परित्यक्त तथा अभ्यर्पित बच्चों के दत्तक ग्रहण हेतु एक विशेष दत्तक अभिकरण (Specialized Adoption Agency)का गठन किया गया है, जिसका संचालन हिमाचल प्रदेश बाल कल्याण परिषद् द्वारा किया जा रहा है । इसके अतिरिक्त प्रदेश में राज्य स्तर पर राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण (State Adoption Resaouce Agency)की स्थापना की गई है । राज्य दत्तक ग्रहण अभिग्रहण द्वारा राज्य में दत्तक ग्रहण कार्यक्रम का समन्वय, अनुवीक्षण तथा विकास का संचालन किया जा रहा है, जिसमे 9 बच्चे (0 –5 वर्ष) दाखिल किए गए हैं। प्रदेश में अब तक 98 बच्चों को दत्तक ग्रहण किया गया है।

3. वैद्यानिक समर्थन सेवाएं(Statuory Service) :–

समेकित बाल संरक्षण योजना के अर्न्तगत राज्य मे वैद्यानिक समर्थन सेवाएं 12 बाल कल्याण समितियों और 12 किशोर न्याय बोर्ड़ों द्वारा प्रदान की जा रही है। बाल कल्याण समितियों मे द्वारा देख रेख और सरक्षण की जरूरत वाले बच्चों की देख रेख, संरक्षण, उपचार, विकास व पुर्नवास के मामलो को निपटाया जाता है । इसके लिए प्रत्येक जिला मे एक बाल कल्याण समिति (Child Welfare Committee) का गठन किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक जिला मे एक किशोर न्याय बोर्ड (Jevenile Justice Board) की स्थापना की गई है। जिसमे कानून के साथ विवाद् मे पड़े किशोरों से सम्बन्धित मामलो को निपटाया जाता है । प्रत्येक जिले मे विशेष किशोर पुलिस इकाई (Special Jevenile Police Units) का गठन किया गया है। इन इकाईयों द्वारा बच्चों से सम्बन्धित मामलों की देख रेख की जाती है ।

4. चाईल्ड लाईनः–

प्रदेश में जिला शिमला, सोलन, कुल्लू (मनाली), चम्बा, मण्डी और सिरमौर में चाईल्ड लाईन के माध्यम से 1098 दूरभाष हैल्पलाईन सेवा स्थापित कर ली गई है ।

5. जिला बाल संरक्षण इकाईयां (District Child protection Units) :–

हिमाचल प्रदेश में 12 जिलों में जिला बाल संरक्षण इकाईयों की स्थापना की गई है । जिला बाल संरक्षण ईकाईयों द्वारा जिला स्तर पर समेकित बाल संरक्षण योजना के अन्तर्गत प्रदान किए जाने वाली सेवाओं का कियान्वयन किया जाता है।

समेकित बाल संरक्षण योजना के अर्न्तगत प्रदेश में कार्यक्रम को सुचारू रूप से कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित समितियों का गठन किया गया हैः–

1. राज्य बाल संरक्षण समिति(SCPC)

Scanned by CamScanner

2. जिला बाल संरक्षण समिति (DCPC)
3. खण्ड स्तरीय बाल संरक्षण समितियां(BCPC)
4. ग्रामीण स्तरीय बाल संरक्षण समितियां (VCPC)
5. राज्य स्तरीय निरीक्षण समिति (SLIC)
6. जिला स्तरीय निरीक्षण समिति (DLIC)

समेकित बाल संरक्षण योजना के अर्न्तगत वर्ष 2016–17के दौरान इस योजना के अर्न्तगत भारत सरकार द्वारा 2402.11 लाख केन्द्रीय हिस्सा व 146.60 लाख राज्य हिस्सा के कुल मु0 2548.71 लाख अनुदान राशि का प्रावधान राज्य सरकार को किया गया है जिसमें से 31.03.2017 तक मु0 2390.26 लाख केन्द्रीय हिस्सा व मु0 146.60 लाख राज्य हिस्सा कुल 2536.86 की राशि का व्यय कर लिया गया है तथा शेष 11.85 लाख अगले वित्त वर्ष 2017–18 तक खर्च कर ली जायेगी ।

1.समेकित बाल विकास सेवाएं (आई.सी.डी.एस) कार्यक्रमः–

हिमाचल प्रदेश में समेकित बाल विकास सेवायें (आई0सी0डी0एस0) कार्यक्रम का सार्वभौमिकरण किया जा चुका है । प्रदेश के समस्त 77 विकास खण्डों तथा शिमला शहरी क्षेत्र में 1 बाल विकास परियोजना कार्यालयों की स्थापना करके कार्यक्रम के कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण को सुनिश्चित किया गया है । इस कार्यक्रम पर होने वाले व्यय को केन्द्र तथा प्रदेश सरकार द्वारा 90:10 के अनुपात में वहन किया जाता है । कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश में आंगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से निम्न छः सेवायें बच्चों, गर्भवती/धात्री माताओं को प्रदान की जा रही हैं :–

1. अनुपूरक पोषाहार
2. शालापूर्व शिक्षा
3. टीकाकरण
4. स्वास्थ्य जांच
5. संदर्भ सेवायें
6. पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा

राज्य में 18925 आंगनवाड़ी केन्द्र तथा मिनी आंगनवाड़ी केन्द्र स्वीकृत हैं । भारत सरकार द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को मु0 3000/–रु0 व आंगनवाड़ी सहायिकाओं को मु0 1500/– रू0 प्रतिमाह व मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को मु0 2250/– रू0 प्रतिमाह मानदेय निर्धारित किया गया है । जिसका 90 प्रतिशत व्यय भारत सरकार द्वारा तथा 10 प्रतिशत व्यय राज्य सरकांर द्वारा वहन किया जाता है । कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्त वर्ष 2016–17 में मु0 9279.73लाख रूपये केन्द्रीय हिस्से के तथा मु0 744.38 लाख रूपये राज्य हिस्से के व्यय किए गए।

Scanned by CamScanner

उपरोक्त के अतिरिक्त प्रदेश सरकार द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं व मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को राज्य बजट से भी अतिरिक्त मानदेय के रूप में क्रमशः मु0450/–रू0, मु0300/–रू0 व मु0375/–रू0 प्रतिमाह दिये जा रहे हैं जिस हेतु मु0 1530.12 लाख रूपये की राषि व्यय की गई है । इस प्रकार आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं व मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रतिमाह कमशः मु0 3450/–रू0, मु0 1800/– रू0 व 2625/–रू0 का मानदेय निम्न विवरण अनुसार दिया जाता है:–

क्र0 सं0	भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदेय			राज्य सरकार द्वारा अपने बजट से देय अतिरिक्त मानदेय	कुल मानदेय
1	2	3	4(2+3)	5	6(4+5)
	केन्द्रीय हिस्सा 90 %	राज्य हिस्सा 10 %	कुल		
1.आंगनवाड़ी कार्यकर्ता	मु0 2700/–	मु0 300/–	मु0 3000/–	मु0 450/–	मु0 3450/–
2.सहायिका	मु0 1350/–	मु0 150/–	मु0 1500/–	मु0 300/–	मु0 1800/–
3.मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता	मु0 2025/–	मु0 225/–	मु0 2250/–	मु0 375/–	मु0 2625/–

2. पूरक पोषाहार कार्यक्रमः–

समेकित बाल विकास सेवाएं कार्यक्रम के अन्तर्गत विशेष पोषाहार घटक के अन्तर्गत पोषाहार पर प्रतिदिन 6.00 रू0 प्रति बच्चा, 7.00 रू0 प्रति गर्भवती महिला/धात्री माता, मु0 5.00 रू0 बी0पी0एल0 किशोरी तथा मु0 9.00 रू0 प्रति अति कुपोषित बच्चा व्यय किए जा रहे हैं। इस कार्यकम के अन्तर्गत केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा 90:10 के अनुपात में धनराशि उपलब्ध करवाई जाती है । वर्ष 2016–17 में ऑगनवाड़ी में आने वाले 4,49,087 बच्चों, 1,00,613 महिलाओं व 1,37,729 किशोरियों को पोषाहार प्रदान किया गया जिस पर कुल मु0 6155.98लाख रूपये व्यय किए गए । इसके अतिरिक्त 3–6 वर्ष तक के 1,38,406 बच्चों को आंगनवाड़ियों में अनौपचारिक स्कूलपूर्व शिक्षा भी प्रदान की गई।

Scanned by CamScanner

3. आंगनवाड़ी भवनों का निर्माण :–

वर्ष 2016–17 मे भारत सरकार के निर्णय अनुसार आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवन का निर्माण "मनरैगा" के अर्न्तगत उपलब्ध धन राषि को परसपरानुबन्ध (Dove Tail) करके किया गया है । अतः ग्रामीण विकास विभाग के ताल मेल से वर्ष 2016–17 मे 160 आंगनबाड़ी भवनों के निर्माण हेतु मु0 318.20 लाख रूपये की राषि केन्द्रीय व राज्य हिस्से के रूप मे व्यय की गई है । जिसमे से मु0 1,98,000/– रू0 90:10 के अनुपात मे केन्द्रीय व राज्य हिस्से के रूप मे व शेष मु0 5.00 लाख रूपये की राषि ग्रामीण विकास विभाग द्वारा उपलब्ध करवाएगी ।

4. स्वयं सहायता समूह :–

महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा मे आई0सी0डी0एस0 में कार्यरत समस्त अधिकारी/ कर्मचारी अहम भूमिका निभा रहे हैं । वर्ष 2016–17 में प्रदेश में आंगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से महिलाओं के 177 स्वयं सहायता समूह गठित किए गए तथा 204स्वयं सहायता समूह ऋण हेतु बैंकों से जोड़े गए । इस प्रकार विभाग द्वारा प्रदेश में 31.03.2016 तक कुल 25513 स्वयं सहायता समूह गठित किए जा चुके हैं तथा 12700 समूह बैंकों के साथ जोड़े जा चुके हैं । स्वयं सहायता समूहों की सदस्यों ने वर्ष भर में कुल मु0 104.48करोड़ रू0 की शुद्ध बचत की है तथा विभिन्न आयसृजन कार्यकलापों हेतु मु0 108.67 करोड़ रूपये के ऋण विभिन्न बैंकों से लिए ।

5. बेटी है अनमोल योजना :–

यह योजना आई0 आर0 डी0 पी0 के अन्तर्गत चिन्हित परिवारों में जन्मी दो बेटियों को लाभान्वित करने के लिए आरम्भ की गई है । इसका मुख्य उद्देश्य जन्म के समय लड़की व माता के प्रति नकारात्मक रवैये को बदलना, लड़की के विवाह की आयु को बढ़ाना तथा लड़कियों को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाना है । जन्म के पश्चात् बालिका के नाम बैंक/डाकघर में मु0 10,000/–रू0 जमा कर दिये जाते हैं जोकि 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर लड़की द्वारा आहरित किये जा सकते हैं। स्कूल जाने पर इन लड़कियों को दस जमा 2 कक्षा तक निम्नलिखित दरों पर वार्षिक छात्रावृति भी दी जाती है:–

कक्षा एक से तीन	मु0 450/–रू0 प्रतिवर्ष
कक्षा चार	मु0 750/–रू0 प्रतिवर्ष
कक्षा पांच	मु0 900/–रू0 प्रतिवर्ष
कक्षा छः से सात	मु0 1050/–रू0 प्रतिवर्ष
कक्षा आठ	मु0 1200/–रू0 प्रतिवर्ष

Scanned by CamScanner

कक्षा नौ से दस मु0 1500/–रू0 प्रतिवर्ष

10+1 तथा 10+2 मु0 2250/–रू0 प्रतिवर्ष

वर्ष 2016–17 में इस योजना के अन्तर्गत मु0 951.05 लाख रू0 व्यय करके 29498 बालिकाओं को लाभान्वित किया गया ।

6. **किशोरी शक्ति योजना**

100 प्रतिशत केन्दीय प्रायोजित योजना के रूप में किशोरी शक्ति योजना प्रदेश के 8 जिलों में 46 समेकित बाल विकास परियोजनाओं के माध्यम से चलाई जा रही है । इस योजना का मुख्य उद्देश्य 11 से 18 वर्ष की किशोरियों के स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति में सुधार लाना, अनौपचारिक शिक्षा के द्वारा किशोरियों में साक्षरता को बढ़ावा देना, गृह आधारित एवं व्यवसायिक कौशल में सुधार लाना, उनमें स्वास्थ्य, पोषाहार, स्वच्छता, गृह प्रबन्धन एवं बच्चों की देख–रेख सम्बधी ज्ञान को बढ़ाना है । इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2016–17 में 36721 किशोरियों को पूरक पोषाहार, 362 व्यवसायिक प्रशिक्षण, 1792 स्कूल छोड चुकी किशोरियों को आयरन फॉलिक एसिड की गोलियॉ एवं 164803को पोषाहार एवं स्वास्थ्य शिक्षा दी गई है । वित्तीय वर्ष 2016–17 में मु0 19.71 लाख रु0 की राशि भारत सरकार से तथा मु0 2.19 लाख रुपये की राशि राज्य सरकार से प्राप्त हुई तथा मु0 10.59 लाख रुपय की राशि वित्तीय वर्ष 2015–16 की उपलब्ध थी । इस प्रकार कुल मु0 32.49 लाख रुपये की राशि उपलब्ध थी, जिसमें से मु0 16.05 लाख रुपये की राशि वित्तीय वर्ष 2016–17 में व्यय की गई ।

7. **राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना –(सबला):**

किशोरी शक्ति योजना के स्थान पर भारत सरकार द्वारा 4 जिलों कमशः सोलन, कुल्लू, चम्बा तथा कांगडा के लिए वर्ष 2010–11 में सबला नामक योजना स्वीकृत की गई । इस योजना को प्रायोगिक तौर पर प्रारम्भ किया गया है । योजना के अन्तर्गत इन ज़िलों में संचालित प्रत्येक बाल विकास परियोजना हेतु मु0 3 लाख 80 हजार रुपये भारत सरकार द्वारा किशोरियों में साक्षरता को बढावा देने, गृह आधारित एवं व्यवसायिक कौशल में सुधार लाने, उनमें स्वास्थ्य, पोषाहार, स्वच्छता, गृह प्रबन्धन एवं बच्चों की देख–रेख सम्बधी ज्ञान को बढ़ाने हेतु प्रदान किए जाने का प्रावधान हैं । वर्ष 2016–17 में गैर पोषाहार घटक के अन्तर्गत मु0 31.22लाख रुपयेकी राशि भारत सरकार द्वारा निर्गत की गई व मु0 3.47 लाख की राषि राज्य सरकार द्वारा निर्गतकी गई व मु0 55.43 लाख रुपये की राशि वर्ष 2015–16 की शेष थी । वित्तीय वर्ष 2016–17 में मु0 38.16 लाख रुपये की राशि का व्यय किया गया । इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2016–17 में 593किशोरियों को कौशल विकास प्रशिक्षण, 4927 स्कूल छोड चुकी व 145927 (स्कूल जा

Scanned by CamScanner

रही किशोरियो) को आयरन फॉलिक एसिड की गोलियॉ, 113401 किशोरियों कोARSH, (Adolescent Reproductive & Sexual Health Education) 23784 को जीवन कौशल विकास एवं 146497 को पोषाहार एवं स्वास्थ्य शिक्षा दी गई है ।किशोरियों को पूरक पोषहार भी उपलब्ध करवाया जा रहा है। जिसका व्यय 90:10 आधार पर भारत सरकार व प्रदेष सरकार द्वारा वहन किया जाता है । पोषाहार प्रदान करने हेतु 2016–17 में 689.23 लाख रुपये भारत सरकार से प्राप्त हुए व 621.75 लाख रूप्ये राज्य सरकार से प्राप्त हुए और इस सम्पूर्ण राशि का उपयोग किया गया। वर्ष 2016–17 में 102496 किशेरियों को पूरक पोषाहार के अन्तर्गत लाभान्वित किया गया है ।

1. इन्दिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजनाः–

इन्दिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना भारत सरकार द्वारा वर्ष 2010–11 में देश के 52 चुनिदा जिलो मे शुरु की गई, हिमाचल प्रदेश मे यह योजना जिला हमीरपुर के लिए स्वीकृत की गई है । इस योजना का मुख्य उद्देश्य गर्भवती तथा धात्री महिलाओं तथा उनके नन्हे शिशुओं (0–6 माह)के स्वास्थ्य एंव पोषण के स्तर में सुधार लाना है योजना के अन्तर्गत महिलाओं को प्रसव–पूर्व एवं प्रसव उपरान्त उनकी कमाई में होने वाली कमी की आशिंक क्षतिपूर्ति हेतु मु0 6000 रू0 सशर्त दो चरणों में दिये जाने का प्रावधान है।

1. पहला चरण : मु0 3000/–
2. दूसरा चरण : मु0 3000/–

वित्तीय वर्ष 2016–17 में उक्त योजना मे भारत सरकार से कोई भी राशि प्राप्त नही हुई है तथा वर्ष 2015–16 की शेष बची राशि 380.14 लाख रुपये मे से 31.3.2017 तक मु0 377.22 लाख रूपये की राशि खर्च ली गई है यह योजना भारत सरकार द्वारा बन्द कर दी गई व इसके स्थान पर प्रधानमंत्री मातृ बन्दना योजना सभी जिलों मे शुरू की गई है ।

9. घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 :–

यह अधिनियम, राज्य में 26.10.2006 से लागू किया गया है जिसके अन्तर्गत 428 आई0सी0डी0एस0 पर्यवेक्षकों को संरक्षण अधिकारी(Protection Officers)नियुक्त किया गया है तथा 15 स्वयं सेवी संस्थाओं को सेवा प्रदाता(Service Provider)घोषित किया गया है । समस्त संरक्षण अधिकारियों को विभाग द्वारा अपने स्तर पर एवं राज्य की न्यायिक अकादमी के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है । इस अधिनियम बारे सघन प्रचार–प्रसार किया गया है ।

Scanned by CamScanner

10. कामकाजी महिला छात्रावास योजना :–

कामकाजी महिलाओं को सस्ती तथा सुरक्षित आवासीय सुविधा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से राज्य में 14 कामकाजी महिला छात्रावासों का निर्माण किया गया है । ऐसी कामकाजी अविवाहित, तलाकशुदा, विधवा और विवाहित महिलाएं जो कामकाज के सिलसिले में अपने घर से दूर हैं तथा जिनकी मासिक आय मु0 25,000/– रु0 से अधिक नहीं है, इन छात्रावासों में रहने हेतु पात्र हैं। इनके अतिरिक्त ऐसी महिलाएं/लड़कियां जो रोजगार/ स्वरोजगार हेतु व्यवसायिक प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हों, भी छात्रावासों में रहने हेतु पात्र हैं । कामकाजी महिला छात्रावासों की लोकेशन तथा प्रवासी क्षमता का विवरण निम्न प्रकार से है:–

क्र0 सं0	जिला	छात्रावास की लोकेशन	प्रवासी क्षमता
1.	कांगड़ा	धर्मशाला	35
2.	कांगड़ा	चौधरी सरवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर	92
3.	कुल्लू	कुल्लू	35
4.	सोलन	सोलन	35
5.	सोलन	परवाणू	35
6.	हमीरपुर	हमीरपुर	35
7.	ऊना	ऊना	35
8.	बिलासपुर	बिलासपुर	35
9.	मण्डी	मण्डी (आई.आई.टी. मण्डी को सरकार द्वारा Hand over कर दिया गया है)	35
10.	सिरमौर	नाहन	35
11.	शिमला	यू0 एस0 क्लब	35
12.	शिमला	संजौली	40
13.	शिमला	ठियोग	35
14.	चम्बा	चम्बा	35

Scanned by CamScanner

राज्य योजनाएं

(1) नारी सेवा सदन :–

असहाय तथा निराश्रित महिलाएं तथा जो महिलाऐं नैतिक खतरे में हो, के लिए विभाग द्वारा मशोबरा में नारी सेवा सदन चलाया जा रहा है । इस सदन में रहने वाली प्रवासियों को निःशुल्क भोजन एवं आवास, सिलाई–कटाई का प्रशिक्षण तथा मुफ्त चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाती है। ताकि वे सदन छोड़ने के बाद भी अपनी रोजी–रोटी कमा सकें । सदन छोड़ने पर ऐसी प्रत्येक महिला को पुर्नवास के लिए 20,000/– रु0 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है ।

वर्ष 2016–2017 में कुल 135.72लाख का बजट रखा गया था जिनमें से मु0 117.68लाख का व्यय हुआ ।

(2) विधवा पुनर्विवाह :–

विधवाओं को पुनर्विवाह के लिये प्रेरित करने के उद्देश्य से 50,000/– रु0 की प्रोत्साहन राशि दी जाती है।

वर्ष 2016–17 में इस योजना के अन्तर्गत 132.75लाख रू0 का बजट प्रावधान रखा गया था तथा 118.50लाख रु0 खर्च कर 242दम्पत्तियों को लाभान्वित किया गया ।

(3) महिलाओं को स्वयं रोजगार सहायता :–

ऐसी महिलाएं जिनकी वार्षिक आय मु0 35000/– रु0 से अधिक न हो, को स्वयं रोजगार स्थापित करने के लिये मु0 5000/– रु0 तक का अनुदान दिया जाता है ।

वर्ष 2016–2017 में इस योजना के अन्तर्गत मु0102.90 लाख रु0 का बजट प्रावधान रखा गया था तथा मु0 102.90 लाख रु0 खर्च कर 2058महिलाओं को लाभान्वित किया गया ।

(4) मुख्यमंत्री कन्यादान योजना :–

इस योजना के अन्तर्गत ऐसी बेसहारा महिलाओं/लड़कियों, जिनके माता–पिता/संरक्षकों की वार्षिक आय मु0 35,000/– रु0 से कम हो, को मु0 40,000/– रु0 प्रति महिला की दर से विवाह अनुदान दिया जाता है ।

Scanned by CamScanner

वर्ष 2016–2017 में इस योजना के अन्तर्गत मु0 661.60लाख रु0 का बजट प्रावधान रखा गया था तथा मु0 661.60 लाख रु0 खर्च कर 1868 महिलाओं/लडकियों को लाभान्वित किया गया ।

(5) मदर टेरेसा असहाय मातृ सम्बल योजना :–

गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली निःसहाय महिलाओं, अथवा ऐसी निसहाय महिलाएं जिनकी वार्षिक आय मु0 35000/– रुपये से कम हो, को उनके बच्चों के पालन पोषण हेतु मु0 3000/– रु0 प्रति बच्चा प्रति वर्ष (दो बच्चों को 18 वर्ष तक) आर्थिक सहायता उपलब्ध करवायी जाती है ।

वर्ष 2016–2017 में इस योजना के अन्तर्गत 1179.26लाख रुपए का बजट प्रावधान था तथा मु0 1179.26लाख रुपए खर्च कर 24020 बच्चों को लाभान्वित किया गया ।

(6) हि0 प्र0 महिला विकास निगम :–

18 वर्ष से अधिक आयु की महिलाएं, जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय मु0 50,000/– रू0 से कम हो, को स्वरोज़गार ईकाईयां स्थापित करने के लिए महिला विकास निगम द्वारा मु0 1,00,000/– रू0 तक के ऋण 4 से 6 प्रतिशत की दर पर उपलब्ध करवाये जाते हैं । इसके अतिरिक्त जे0 बी0 टी0, नर्सिंग, होटल मैनेजमेंट, एम0बी0बी0एस0, एम0बी0ए0, इंजीनियरिंग, एल0एल0बी0 तथा बी0एड0 आदि व्यवसायिक एवं तकनीकी शिक्षा हेतु मु0 75,000/– रू0 तक के ब्याज़ मुक्त ऋण लड़कियों को दिऐ जाते हैं बशर्ते उनके परिवार की वार्षिक आय एक लाख रू0 से कम हो । वित्त वर्ष 2016–17 में महिला विकास निगम को विभाग द्वारा मु0 140.00 लाख रू0का निवेश किया गया है ।

(7) माता शबरी महिला सशक्तिकरण योजनाः–

इस योजना के अन्तर्गत बी.पी.एल. परिवार की अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति की ऐसी महिलाओं को जिनकी वार्षिक आय मु0 35000/– रू से अधिक न हो तथा जिनके पास गैस कनैक्शन उपलब्ध न हो को लकड़ी, ईन्धन से निजात दिलाने के उद्देश्य से 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है, जिसकी अधिकतम सीमा 1300 रू/ होगी । इस योजना के अर्न्तगत हर वर्ष प्रति विधान सभा क्षेत्र 75 पात्र महिलाओं को लाभान्वित किया जाता है ।

वर्ष 2016–2017 में इस योजना के अन्तर्गत मु0 66.00 लाख रुपए का बजट प्रावधान था तथा मु0 65.98 लाख रुपए खर्च किये जा चुके हैं।

Scanned by CamScanner

(8)हि0प्र0 महिला आयोग:–

हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं से सम्बन्धी नीतियों का परीक्षण करने, विधिक रक्षा के उपायों का पुनरावलोकन करने, शिकायतों को दूर करने और स्कीमों के कार्यान्वयन, निरीक्षण/मूल्यांकन करने के उद्देश्य से आयोग की स्थापना की गई है। वर्ष 2016–2017 में आयोग हेतु मु0 86,42,000 लाख रु0 का बजट प्रावधान रखा गया था तथा मु0 85,17,892 /– लाख रु0 खर्च किए गए ।

(9) स्वयंसेवी संस्थायों को अनुदान :–

वित्त वर्ष 2016–17 में विभाग द्वारा निम्नलिखित स्वयं सेवी संस्थाओं को 90:10 के अनुपात में उनके विरूद्ध दर्शाए गए कार्यक्रम / उददेश्य के लिए अनुदान सहायता प्रदान की गई:–

क0 सं0	स्वंय सेवी संस्था का नाम	जिस उददेश्य के लिए अनुदान सहायता प्रदान की गई
1	हि0 प्र0 राज्य बाल कल्याण परिषद्, छोटा षिमला	1. बाल गृह मेहला 2. बाल गृह सराहन 3. बाल गृह कलैहली 4. बालिका गृह सुन्नी 5. बालिका गृह, चिल्ली(तीसा), ज़िला चम्बा 6. बालिका गृह कल्पा 7. बालवाड़ी कार्यक्रम 8. परिषद का कार्यालय व्यय
2	राज्य समाज कल्याण बोर्ड	1. बालवाड़ी एवं उद्योग केन्द्र 2. कार्यालय व्यय एवं बोर्ड अध्यक्ष का व्यय 3. परिवार एवं शिशु कल्याण केन्द्र 4. गुज्जर आश्रम किहार
3	महिला कल्याण मंडल, चम्बा	बालिका गृह चम्बा
4	दिव्य मानव ज्योति अनाथालय ट्रस्ट, डैहर, ज़िला मण्डी	बाल गृह डैहर
5	दीन बंधु सेवा मंडल, भरनाल, ज़िला मण्डी	बाल/बालिका गृह भरनाल
6	कस्तुरबा गांधी राष्ट्रीय स्मारक ट्रस्ट, रॉकवुड, शिमला	1. बाल गृह रॉकवुड, शिमला 2. बालिका गृह सुन्नी

Scanned by CamScanner

7	गुज्जर तालीम सोसाईटी कुठाड़, जिला शिमला	गुज्जर मदरसा भराणू, तहसील चौपाल, जिला शिमला

जेन्डर बजटिंग :–

हिमाचल प्रदेश में महिलाओं की जनसंख्या, कुल जनसंख्या का लगभग 50 प्रतिशत है। ये महिलाएं राज्य के आर्थिक, सामाजिक तथा राजनैतिक घटना चक्र में अपनी अहम भूमिका निभाती है। इस कम में मानव विकास की आर्थिक कुशलता बढ़ाने के लिए जेंडर बजटिंग का प्रावधान होना जरूरी है। सभी विभागों को यह निर्देश दिये जा चुके हैं कि विभिन्न योजनाओं का बजट बनाते समय जेंडर बजटिगं का ध्यान अवश्य रखा जाए। इसका यह मतलब नहीं है कि महिलाओं के लिए अलग से बजट का प्रावधान हो लेकिन मुख्य धारा से जोड़ने के लिए लिंग समानता आधारित बजट का होना अनिवार्य है।

हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य स्तर पर जेंडर बजटिंग सेल बनाया है जिसकी स्थाना 14.11.2008 को की गई है। जिसकी संरचना निम्नलिखित है:–

1. निदेशक, निदेशालय महिला एवं बाल विकास हिमाचल प्रदेश — अध्यक्ष
2. अतिरिक्त सचिव/संयुक्त सचिव वित्त — सदस्य
3. संयुक्त सचिव योजना — सदस्य
4. अतिरिक्त/संयुक्त निदेषक — संयोजक

इस समय 52 विभागों द्वारा जेंडर बजटिंग सैल की संरचना की गई है।

(1) महिला एवं बाल विकास (2) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (3) उच्च शिक्षा विभाग (4) प्रारम्भिक शिक्षा विभाग (5) पशुपालन विभाग (6) कृषि विभाग (7) बागवानी विभाग (8) पंचायती राज विभाग (9) शहरी विकास विभाग (10) ग्रामीण विकास विभाग (11) सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग (12) मत्सय विभाग(13) आर्थिक एवं सांख्यकि विभाग(14) हिमाचल प्रदेश विष्वविद्यालय (15) युवा सेवाएं एवं खेल विभाग (16) राजस्व विभाग (17) परिवहन विभाग (18) उपायुक्त किन्नौर/ जिला परिषद् किन्नौर (19) हिमाचल प्रदेश खादी एवं ग्राम उद्योग (20) आयुर्वेदा विभाग(21) अनुसूचित जाति, जन जाति एवं अल्प संख्यक मामले (22) हि0 प्र0 प्रशासनिक संस्थान (23) लघु बचत विभाग (24) तकनीकी शिक्षा विभाग (25) सहकारिता विभाग (26) पुलिस विभाग (27)वन विभाग (28) उद्योग विभाग (29) योजना विभाग (30) श्रम एवं रोजगार विभाग (31) कला, भाषा एवं संस्कृति विभाग (32) आबकारी

Scanned by CamScanner

एवं कराधार विभाग (33) निदेशालय संपत्ति (34) बिजली विभाग(35) हि0 प्र0 पर्यटन एवं उड्यन विभाग (36) भूमि रिकार्ड विभाग(37) खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग (38) हिमाचल प्रदेश सूचना एवं तकनीकी विभाग (39) निदेशालय सूचना एवं जन संपर्क विभाग(40) निदेशालय अग्निश्मन (41) पर्यावरण विभाग व प्रौघौगिकी विभाग (42) विज्ञान एवं तकनीकी विभाग (43) लोक निर्माण विभाग (44) लोक एवं शहरी योजना विभाग (45) जिला उपायुक्त कुल्लू (46) जिला उपायुक्त लाहौल स्पिति (47) जिला उपायुक्त सोलन (48) जिला परिषद सोलन (49) जिला उपायुक्त हमीरपुर (50) जिला परिषद हमीरपुर (51) जिला उपायुक्त ऊना (52) जिला उपायुक्त कांगड़ा।

इसके साथ –साथ विभाग बाल विवाह प्रतिरोध अधिनियम 2006, घरेलु हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम –2005, दहेज प्रतिरोध अधिनियम –1961, अनैतिक देह व्यापार प्रतिरोध अधिनियम 1956 तथा हिमाचल प्रदेश विवाह पंजीकरण अधिनियम 1996 के कार्यान्वयन का भी कार्य देख रहा है। विभाग विशेष महिला उत्थान योजना तथा बलात्कार पीड़ित महिला को वितीय सहायता एवं सहयोग योजना का कार्यान्वयन भी कर रहा है।

1. विशेष महिला उत्थान योजना के अन्तर्गत राज्य एड्स कंट्रोल सोसाईटी द्वारा प्रायोजित महिलाओं को आई0 टी0 आई0 के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वे अपना रोजगार कमा सके। वर्ष 2016–17 के दौरान इस योजना के अन्तर्गत 100.00 लाख रु0 का प्रावधान था । जिसमें से 50.56 लाख रूपये का आबंटन विभिन्न आई0 टी0 आईज़ को किया गया।
2. बलात्कार पीड़ित महिलाओं को वित्तीय सहायता एवं सहयोग योजना के अन्तर्गत वर्ष 2016–17 में मु0 95.50 लाख रु0 की राषि विभिन्न जिलों को आबंटित की गई। इस योजना के अन्तर्गत पीड़ित महिला को किश्तों में मु0 75 हजार रु0 दिये जाने का प्रावधान है विशेष परिस्थितयों में यह राशि एक लाख रु0 तक प्रदान की जा सकती है ।

विभाग द्वारा कार्यान्वित केन्द्रीय/राज्य अधिनियम

विभागीय कार्यक्रमों से सम्बन्धित निम्नलिखित **अधिनियम व नियम** जो विभाग द्वारा स्वयं या अन्य विभागों के मार्फत कार्यान्वित किये जा रहे हैं:–

1. किशोर न्याय (देख–रेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015
2. हि0 प्र0 महिला आयोग अधिनियम, 1996
3. बेटी बचाओं बेटी पढाओं योजना

यह योजना दिनांक 22.01.2015 को देश के 100 जिलों के साथ हिमाचल प्रदेश के जिला ऊना मे शुरू की गई । वर्ष 2016–17 में हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा और हमीरपुर जिलों मे भी यह

Scanned by CamScanner

योजना शुरू की गई है । यह योजना बाल लिंग अनुपात में गिरावट को रोकने और उसमे सुधार कर, वृद्वि करने का प्रयास है । इय योजना के माध्यम से जन समुदाय को घटते हुए लिंगानुपात के दुष्प्रभावों के बारे मे जागृत करने के प्रयास किए जा रहे है । जिला ऊना में पिछले ढाई सालो के दौरान बाल लिंग अनुपात में सुधार हुआ है ।

4. <u>वन स्टॉप सैन्टर</u>

वन स्टॉप सैन्टर एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना है । इस योजना का मुख्य उददेश्यः

(i) एक ही छत के नीचे निजी और सार्वजनिक स्थानों मे हिंसा से प्रभावित महिलाओं को एकीकृत सहायता प्रदान करना ।

(ii) महिलाओं के खिलाफ हो रही किसी भी प्रकार की हिंसा से लड़ने के लिए एक ही छत के नीचे चिकित्स्कीय , कानूनी मनोवैज्ञानिक और परामर्श सहायता सहित कई सेवाएं तत्काल आपातकालीन और गैर आपातकालीन स्थितियों मे प्रदान की जाती है । हिमाचल प्रदेश में वन स्टॉप सैन्टर 26.09.2017 को रेड कास बिल्डिंग जोनल हॉस्पिटल सोलन के परिसर मे संचालित किया गया है । योजना के अर्न्तगत 30,00,900/–आवर्ती व्यय का प्रावधान है । दिसम्बर 2017 तक 15,00,450/– का व्यय किया गया है एवं 12 महिलाओं को विभिन्न प्रकार की सहायता प्रदान की गई है ।

प्रशासनिक सुधार हेतु उठाए गए कदम

प्रशासन में कार्यकुशलता लाने के उद्देश्य से, प्रधान सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता की अध्यक्षता में त्रैमासिक बैठक तथा निदेशक, महिला एवं बाल विकास, हि0 प्र0 की अध्यक्षता में मासिक बैठक का आयोजन किया जाता है । इन बैठकों में विभाग से सम्बन्धित प्रत्येक मुद्दे पर चर्चा की जाती है । कार्य में गुणवत्ता लाने के लिए, निदेशालय का, जिला कार्यक्रम अधिकारियों/बाल विकास परियोजना अधिकारियों के कार्यालयों का कम्प्यूट्रीकरण कर दिया गया है । सूचनाओं के शीघ्र आदान–प्रदान के लिए निदेशालय तथा जिला कार्यक्रम अधिकारियों /बाल विकास परियोजना अधिकारियों के कार्यालयों में फैक्स मशीनें तथा Broadband सुविधा लगा दी गई हैं । निदेशालय स्तर पर कार्यभार कम करने तथा कार्यों के शीघ्र निष्पादन के उद्देश्य से वित्तीय शक्तियों का विकेन्द्रीयकरण किया गया है । विभाग द्वारा मॉडल होम बनाना प्रस्तावित है तथा मामला भारत सरकार से उठाया गया गया है। बाल आश्रमों में सुधार लाने हेतू बाल आश्रमों के अधीक्षकों को जवाबदेह बनाया गया है।

इसके अलावा एकीकृत बाल विकास योजना के अन्तर्गत मुख्यालय के सभी अधिकारियों से जिलावार निरीक्षण करवाया जा रहा है। एकीकृत बाल सुरक्षा योजना के अन्तर्गत जिला स्तर पर जिलाधीशों एवं

Scanned by CamScanner

एस.डी. एम. द्वारा बाल आश्रमों का निरीक्षण किया जा रहा है तथा इसके अलावा क्षेत्रीय विभागीय अधिकारी समय समय पर इन संस्थाओं का निरीक्षण कर रहे हैं। महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा के लिए हिमाचल प्रदेश महिला आयोग बनाया गया है। विभाग के लिए सामग्री की खरीद हेतु ई–टेन्डरिंग की सुविधा भी उपलब्ध करवाई गई है।

Scanned by CamScanner

सरकार द्वारा संचालित पंजीकृत बाल–बालिका आश्रमः

कम संख्या	आश्रम का नाम	उद्देश्य	आवास क्षमता	जिले का नाम		दूरभाष नम्बर
1	बालिका आश्रम मशोबरा स्थित टूटीकण्डी	बालिकाएं जिन्हें देखरेख तथा सुरक्षा की आवश्यकता हैं	100	शिमला	लड़कियां	0177-2807530
2	बाल आश्रम टूटीकण्डी स्थित अर्की	बालक जिन्हें देखरेख तथा सुरक्षा की आवश्यकता हैं	100	शिमला	लड़के	0177-2740268 01796220251(Arki)
3	बाल आश्रम, मसली	बालक जिन्हें देखरेख तथा सुरक्षा की आवश्यकता हैं	100	शिमला	लड़के	01781-206112
4	बाल आश्रम, सुन्दर नगर	बालक जिन्हें देखरेख तथा सुरक्षा की आवश्यकता हैं	50	मण्डी	लड़के	01907-267546
5	बालिका आश्रम, परागपुर (गरली)	बालिकाएं जिन्हें देखरेख तथा सुरक्षा की आवश्यकता हैं	50	कांगडा	लड़कियां	94187-79606
6	बाल/बालिका आश्रम, किलाड़	बालक/बालिकाएं जिन्हें देखरेख तथा सुरक्षा की आवश्यकता हैं	50	चंबा	संयुक्त	94598-36400
7	गुज्जर आश्रम, साहू	बालक जिन्हें देखरेख तथा सुरक्षा की आवश्यकता हैं	25	चंबा	लड़के	98050-26974
8	बाल आश्रम, सुजानपूर	बालक जिन्हें देखरेख तथा सुरक्षा की आवश्यकता हैं	50	हमीरपुर	लड़के	94590-97620 01972-272182
9	संप्रेक्षण गृह, उना	कानूनी विवाद मे पड़े बच्चों का गृह	25	उना	लड़के	94180-12868
10	विशेष जरूरत वाली बालिकाओं का संस्थान , सुन्दर नगर	दृष्टिवाधित, मूक वधिर बालिकांओं का संस्थान	100	मण्डी	लड़कियां	01907-266154
गैर –सरकारी संस्था द्वारा संचालित पंजीकृत बाल–बालिका आश्रम						
1	बालिका आश्रम, सुन्नी	बालिकाएं जिन्हें देखरेख तथा सुरक्षा की आवश्यकता हैं	50	शिमला	लड़कियां	0177-2620985 94180-21645
2	बाल आश्रम, सराहन	बालक जिन्हें देखरेख तथा सुरक्षा की आवश्यकता हैं	100	शिमला	लड़के	01782-274627
3	बालिका आश्रम, तीसा	बालिकाएं जिन्हें देखरेख तथा सुरक्षा की आवश्यकता हैं	50	चंबा	लड़कियां	98167-65589
4	बाल आश्रम, मैहला	बालक जिन्हें देखरेख तथा सुरक्षा की आवश्यकता हैं	50	चंबा	लड़के	98059-33023
5	बाल आश्रम, कलहैली	बालक जिन्हें देखरेख तथा सुरक्षा की आवश्यकता हैं	50	कुल्लु	लड़के	94180-22676
6	बलिका आश्रम, कल्पा	बालिकाएं जिन्हें देखरेख तथा सुरक्षा की आवश्यकता हैं	50	किन्नौर	लड़कियां	01786-226524
7	मूक–वधिरबच्चों का स्कूल/गृह, ढल्ली	मूक–वधिर बालकों का स्कूल/गृह,	60	शिमला	लड़के	0177-2620985
8	अस्थिदोष बच्चों का स्कूल/गृह, दाड़ी	अस्थिदोष बालकों का स्कूल/गृह	50	कांगड़ा	लड़के	0177-2620985
9	दृष्टिहीन बच्चों का स्कूल/गृह, ढल्ली	दृष्टिहीन बालकों का स्कूल/गृह	20	शिमला	लड़के	0177-2620985
10	बाल आश्रम, रौकवुड	बालक जिन्हें देखरेख तथा सुरक्षा की आवश्यकता है	50	शिमला	लड़के	0177-2623937

Scanned by CamScanner

11	बालिका आश्रम, दुर्गापूर	बालिकाएं जिन्हें देखरेख तथा सुरक्षा की आवश्यकता है	50	शिमला	लड़कियां	0177-2747761
12	बाल गृह, डैहर	बालक जिन्हें देखरेख तथा सुरक्षा की आवश्यकता है	150	मण्डी	लड़के	01907283024
13	बाल आश्रम, भरनाल	बालक जिन्हें देखरेख तथा सुरक्षा की आवश्यकता है	50	मण्डी	लड़के	94184-99963
14	बालिका आश्रम, चंबा	बालिकाएं जिन्हें देखरेख तथा सुरक्षा की आवश्यकता हैं	50	चंबा	लड़कियां	94185-70768
15	प्रेम आश्रम, उना	बालक/बालिकाएं जो मानसिक रूप से अक्षम है	150	उना	संयुक्त	01975-228017
16	दार–उल– फजल बाल/बालिका गृह, कुल्लु	बालक/बालिकाएं जिन्हें देखरेख तथा सुरक्षा की आवश्यकता है	80	कुल्लु	संयुक्त	94187-53751
17	सहयोग बाल श्रवण विकलांग समिति, नागचला	बालक/बालिकाएं जो मदंबुद्धि हो जिन्हें देखरेख तथा सुरक्षा की आवश्यकता है	40	मण्डी	संयुक्त	01905-223539
18	रामानन्द गोपाल रोटरी होस्टल,सलियाना	बालक/बालिकाएं जिन्हें देखरेख तथा सुरक्षा की आवश्यकता है	40	कांगड़ा	संयुक्त	01894-239180
19.	शांति निकेतन बाल /बालिका आश्रम, थिथोंग, सोलन	बालक/बालिकाएं जिन्हें देखरेख तथा सुरक्षा की आवश्यकता है	90	सोलन	संयुक्त	01792-275450
खुला आश्रय		लघु अवधि के लिए आवासीय सहायता की आवश्यकता वाले बाल/बालिकाओं के आश्रय हेतु				
1.	खुला आश्रय बलदेयां, शिमला		25	शिमला	लड़के	98170-59462
2.	खुला आश्रय सकोह, धर्मशाला		12	कांगड़ा	संयुक्त	94181-01583
3.	खुला आश्रय सोलन		25	सोलन	लड़कियां	98164-06103

Scanned by CamScanner